न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—93/2025/225 आर.टी.एक्ट (2025/93)

1. नाथू पुत्र श्री उगमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मगरी तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रूखसाना पत्नि श्री अब्दुल कयूम जाति मुसलमान निवासी छातडी रोड मदीना मस्जिद के पास, ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर।
2. गणपतलाल पुत्र ज्वारा जाति रेगर निवासी कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री सुखदेव जाति रेगर निवासी ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
4. कमला देवी पुत्री ज्वारा जाति रेगर निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. जीवनी देवी पुत्री ज्वारा जाति निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. आई0डी0बी0आई बैंक शाखा किशनगढ जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ (अजमेर) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 राजस्व वाद संख्या 7/2021.

उपस्थितः—

1. श्री तेजेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री श्याम कृष्ण पारिक व वैभव कृष्ण पारिक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 16.04.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण

संख्या 7/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को सम्यक रूप से विधिवत बिना तामील कराये बिना, जवाब साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया जिससे प्रार्थी को उक्त आदेश की कोई जानकारी नहीं रही। प्रार्थी ग्राम कुचील में नहीं रहकर ग्राम मंगरी का निवासी है एवं कामकाज हेतु बाहर रहता है, उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 07.01.2021 को हुई जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जेसीबी मशीन द्वारा रास्ते हेतु खुदाई की जिस पर प्रार्थी ग्राम कुचील पहुंचा तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बताया गया कि मुझे न्यायालय द्वारा रास्ता दिया गया है तब प्रार्थी किशनगढ आकर दिनांक 08.01.2025 को नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 22.01.2025 को नकल प्राप्त हुई एंव नकल प्राप्त कर अभिभाषक से राय ली जिन्होंने राय दी कि उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे। जिस पर रूपये पैसों का बंदोबस्त कर दिनांक 01.02.2025 को अजमेर आकर वकील नियुक्त कर यह अपील उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के निर्णय दिनांक 08.09.2023 के विरूद्ध जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपील में हुआ विलम्ब जानकारी के अभाव में सदभविक होने से क्षमा योग्य है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का कम पढा लिखा गरीब व मजदूर काश्तकार है जो अपनी आजिविका चलाने हेतु अन्यत्र मजदूरी करता है। प्रार्थी को कानून की कोई जानकारी नहीं है जैसे ही उक्त आदेश की जानकारी हुई प्रार्थी को जैसी विधिक राय दी गई जिस अनुसार तुरंत बिना कोई विलम्ब किये न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। अतः प्रस्तुतीकरण में हुआ विलम्ब जानकारी के अभाव में सदभाविक होकर क्षमा योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना

पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलांट को बिना विधिवत एवं समुचित एवं सम्यक तामील कराये गलत रूप से डिलीवरी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलांट को जवाब साक्ष्य व सुनवाई का बिना अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम कुचील में स्थित है एवं अपीलांट ग्राम मंगरी का है जिसे साधारण नोटिस नहीं दिया गया एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 के अभिभाषक के निवेदन पर अपीलांट का बाहर रहना बता रजिस्टर्ड एडी से तामील कराने का निवेदन किया परन्तु दिनांक 17.02.2021 से लेकर दिनांक 07.02.2022 तक रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा ना तो रजि. एडी नोटिस पेश किया गया एवं ना ही न्यायालय द्वारा रजि. एडी नोटिस जारी करने का आदेशिका में कहीं अंकन किया। अर्थात उक्त दिनांक तक कोई रजिस्टर्ड एडी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया परन्तु दिनांक 07.02.2022 को रेस्पोंडेंट सख्या 1 के अभिभाषक द्वारा सीधे ही डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं इसके आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा बसाज गलत रूप से कार्यवाही कर न्यायालय को मुगालते में रख, अस्पष्ट पते की डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो विधि अनुसार सम्यक तामील की परिभाषा में नहीं आता। फिर भी उक्त डिलीवरी रिपोर्ट को आधार बनाकर, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है जो विधि विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। प्रथम तो प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से तामील नहीं कराई गई, द्वितीय मौका रिपोर्ट के वक्त प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं बसाज एकपक्षीय रिपोर्ट बनाई जबकि राजस्थान टीनेन्सी सरकारी नियमों के अनुसार मौका रिपोर्ट के वक्त

सरकार को नोटिस देना एवं उसकी उपस्थिति में बनाया जाना विधि अनुसार आवश्यक है जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने जानबूझकर बसाज प्रकरण में सारी कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय प्राप्त किया है जो विधि एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे के राजस्व कर्मचारी द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती। साथ ही मौका रिपोर्ट बाबत विशेष फोरमेट में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट बनाई गई एवं पैरोकार सरकार द्वारा कवरींग पत्र के साथ प्रस्तुत की है जो नियमों के विपरीत है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है जो नियमों के विपरीत थी फिर भी इस बिन्दु को अनदेखा कर उक्त अविधिक एवं अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि एवं न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्यापित नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व की तरफ खसरा नं. 1069 मुख्य रास्ते से 1087/2, 1087/1, 1085/2 के सहारे सहारे डॉटेड लाईन से रास्ता अंकित है। रेस्पोडेंट संख्या 1 अपीलांट के खेत खसरा नं. 1094 में से कभी भी आवागमन नहीं करती थी बल्कि डॉटेड रास्ते से वह 1091 में से आवागमन करती रही है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 अपने द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, में डॉटेड रास्ते के रूप में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था तो केवल सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता नहीं दिया जा सकता। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं थी परन्तु उक्त नजरी नक्शे को बिना देखे एवं अस्पष्ट एंव अविधिक एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीया के स्वामित्व, खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1090 रकबा 10–03–00 किस्म बारानी अव्वल ग्राम कुचील पटवार हल्का कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1090 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 की भूमि खसरा नम्बर 1089/1 व खसरा नम्बर 1089/1 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 1089 तथा खसरा नम्बर 1089 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 1094 स्थित है तथा खसरा नम्बर 1094 के पश्चिम दिशा में रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1093 स्थित है। ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख०नं० 1093 से रास्ता अप्रार्थी सं० 1 व 2 की भूमि के दक्षिण दिशा की सींव के सहारे सहारे रास्ता आगे जाकर अप्रार्थी सं० 3, 4 व 5 की कृषि भूमि ख0नं0 1089/1 में दक्षिण दिशा से घुमाव खाकर रास्ता आगे प्रार्थीया की भूमि ख०नं० 1090 में जाकर पंहुचता है। इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि

ख0नं0 1090 से रास्ता अप्रार्थी सं० 1 से 5 की भूमियों में से होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1090 के चारों दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 में पंहुचने के लिये प्रार्थीया के पास उक्त वर्णित व नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए, बी, सी रास्ता ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख०नं० 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया व उसके परिवारजन इसी रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाते ले जाते है। प्रार्थीया के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया के पास यही एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थीया के खेत ख0नं0 1090 से शुरू होकर अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 के खेतों की दक्षिणी सींव से होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ते ख0नं0 1093 तक जाता है। उपरोक्त रास्ते की चौड़ाई काश्त करने के लिये वर्तमान मशीनरी युग में काश्त हेतु मशीनी उपकरण एवं कृषि उपज लाने–ले जाने के लिए कम से कम 30 फीट रास्ता होना आवश्यक व जरूरी है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीया के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी सं० 1 से 5 व उसके परिवारजन ने दिनांक 06.12.2020 को प्रार्थीया को रास्ते से आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रार्थीया व उसके परिजनों को धमकी दी कि वह अब रास्ता हमेशा के लिये बन्द करके प्रार्थीया व उसके परिजनों का आवागमन हमेशा के लिये बन्द करके रहेगा। अप्रार्थी सं० 1 से 5 को प्रार्थीया की कृषि भूमि ख0नं0 1090 तक पंहुचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पंहुचने के लिए रास्ता होना आवश्यक माना गया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं० 1 से 5 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित व नक्शे में दर्शित रास्ते को सहमति से करार द्वारा कायम कर लिया जावे। किन्तु अप्रार्थी सं० 1 से 5 ने कतई इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत् किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पड़ौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कर रास्ता कायम करवा सकता है। प्रार्थीया को विधि द्वारा रास्ते का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीया को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1090 में पंहुच के लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित व नक्शे में लाल रंग से तथा ए, बी, सी मार्क से दर्शित रास्ता ही एक मात्र लघुत्तम निकटतम, सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त रास्ता राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से दर्ज है किन्तु पुख्ता तरमीम नहीं होने से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं० 1 से 5 के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज किया जाना व राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थीया रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की डी०एल०सी० दर अनुसार राशि अदा करने एवं माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है, उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीया तत्पर व तैयार है। वाद कारण दिनांक 06.12.2020 को अप्रार्थी सं० 1 से 5 द्वारा प्रार्थीया

के रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर तथा अप्रार्थी सं० 1 लगायत 5 द्वारा आपसी सहमती से रास्ता कायम करवाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। अतः प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग के ए, बी, सी 30 फीट चौड़े रास्ते को कायम कर प्रार्थीया की ग्राम कुचील में स्थित भूमि ख0नं0 1090 में आने जाने का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक पंहुच के लिये कायम होने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 08.09.2023 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2021 को अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए। परंतु उक्त रजिस्टर्ड एडी कब जारी किए गए इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं पर भी नहीं है।

दिनांक 17.02.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जबकि आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.02.2021 से दिनांक 17.02.2022 तक एक साल की अवधि के दौरान आदेशिका पर कहीं भी रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख नहीं है।

प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार को प्रेषित किया गया है व तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जबकि नियम **69** के तहत मौका रिपोर्ट स्वयं उपखण्ड अधिकारी अथवा भूअभिलेख निरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट बनाया जाना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियम 69 के तहत रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही रास्ता स्वीकृत किए जाने के आदेश पारित किए गए है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2019 डीएनजे (रेवे0) 212

RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955- SEC. 251A- APPLICATION FOR SANCTIONING NEW WAY WAS

ALLOWED AND GRANTED NEW WAY- APPEAL DISMISSED – ORDER PASSED ON THE BASIS OF PATWARI REPORT – VIOLATION OF MANDATORY PROVISION. NO SIGNATURE OF PARTIES ON PATWARI REPORT- HELD, ORDER SET ASIDE AND CASE REMANDED WITH DIRECTIONS.

NEW WAY CANNOT BE SANCTIONED ON THE BASIS OF PATWARI REPORT.

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2021 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित अप्रार्थीगण की विधिवत रूप से **तामील कर**, मौका रिपोर्ट बाबत उभयपक्षों को नोटिस जारी कर उभयपक्षों की उपस्थिति में **नियम 69** की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण में दिए गए रास्ते की **चौडाई** का भी अंकन कर प्रकरण में पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.05.2026 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 16.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर